

महालेखाकार (लेखापरीक्षा-I) का कार्यालय
केरल, तिरुवनंतपुरम - 695 001



OFFICE OF THE
ACCOUNTANT GENERAL (AUDIT-I)
KERALA, THIRUVANANTHAPURAM - 695 001

सं.ले.प/प्रशिक्षण/11-8/2025-26/
No.Au/Trg/11-8/2025-26/

दिनांक: 13 फ़रवरी 2026
Date: 13 February 2026

परिपत्र संख्या 85 / CIRCULAR No. 85

पीओएसएच अधिनियम, 2013 के साथ संस्थागत अनुपालन को मजबूत करने और एक सम्मानजनक और पेशेवर कार्यस्थल संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए, सक्षम प्राधिकारी ने आईजीओटी (एकीकृत सरकारी ऑनलाइन प्रशिक्षण) प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध "कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न की रोकथाम" पाठ्यक्रम को सभी आईए एंड एडी अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए अनिवार्य बनाने का निर्णय लिया है।

In order to strengthen institutional compliance with the POSH Act, 2013, and to promote a respectful and professional workplace culture, the competent authority has decided to make the course "**Prevention of Sexual Harassment of Women at Workplace**", available on iGOT(Integrated Government Online Training) platform, mandatory for all IA&AD officers and officials.

इस पाठ्यक्रम का उद्देश्य प्रतिभागियों को कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न की रोकथाम के महत्वपूर्ण मुद्दे पर शिक्षित करना है, जिससे उन्हें कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 की व्यापक समझ प्राप्त हो सके और एक सुरक्षित, सम्मानजनक और समावेशी कार्य वातावरण बनाने के महत्व पर बल दिया जा सके।

The course is designed to educate participants on the critical issue of preventing sexual harassment at the workplace, thereby providing a comprehensive understanding of the Sexual Harassment of Women at Workplace (Prevention, Prohibition and Redressal) Act, 2013, and emphasizing on the importance of creating a safe, respectful, and inclusive work environment.

इस संबंध में, यह निर्देश दिया जाता है कि एजी (ऑडिट I) और एजी (ऑडिट II) के सभी अधिकारी/कर्मचारी (आईए एवं एस अधिकारियों सहित) अनिवार्य रूप से 31.05.2026 को या उससे पहले निर्धारित पाठ्यक्रमों में सक्रिय रूप से नामांकन करें और उन्हें सफलतापूर्वक पूरा करें तथा पाठ्यक्रम पूरा होने पर, पाठ्यक्रम पूर्णता प्रमाण पत्र प्रशिक्षण प्रकोष्ठ (training.ker1.au@cag.gov.in) को अग्रेषित करें।

In this regard, it is directed that **all officers/officials (including IA&AS Officers) of AG (Audit I) & AG (Audit II)** actively enrol in and successfully

complete the prescribed courses **mandatorily on or before 31.05.2026** and on completion of the course, the course completion certificates may be forwarded to Training Cell (training.ker1.au@cag.gov.in).

कोर्स का लिंक नीचे दिया गया है:

The link of the course is mentioned below:

https://portal.igotkarmayogi.gov.in/app/toc/do_113569878939262976132/overview_

(महालेखाकार के दिनांक 13 फ़रवरी 2026 के आदेशानुसार)

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी / प्रशिक्षण
Senior Audit Officer/Training

प्रतिलिपि/To

1. सभी अनुभाग (लेखा परीक्षा I) और (लेखा परीक्षा II)

All Sections (Audit I) & (Audit II)

2. सभी कार्यात्मक विंगों के समूह अधिकारी (लेखा परीक्षा I) और (लेखा परीक्षा II)

Group Officers of all functional wings (Audit I) & (Audit II)

3. नोटिस बोर्ड/परिपत्र पुस्तक

Notice Board/Circular Book